न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

[illegible] बनाम [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	[illegible] गई। बाद निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र वाजदायरी पत्रावली दिनांक 20.9.2024 को पेश हो।	
	(अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	
20.09.2024	पत्रावली आज वास्ते निर्णय / आदेश प्रार्थना पत्र वाजदायरी हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थना पत्र वाजदायरी पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान पूर्व मे सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अवगत कराया कि हम 02.09.2024 को न्यायालय मे उपस्थित थे परन्तु उक्त वादपत्र व प्रार्थना पत्र टी.आई. दिनांक 04.09.2024 को वकुलाय उभय पक्षकारान् की अनुपस्थिति में अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज हुए है। मूल वादपत्र मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 22.05.2012 को एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी थी तब से लेकर आज तक प्रतिवादीगण की ओर से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। मेरा दावा उद्घोषणा का होने से मेरे हक प्रभावित हो रहे है। अतः ऐसी स्थिति में वाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर मूल वादपत्र व मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिये जाने का निवेदन वकील प्रार्थीगण के द्वारा किया गया है। वही दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने अवगत कराया कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह नहीं बताया कि उनको वादपत्र के अदम हाजरी में खारिज होने की जानकारी कब व कैसे प्राप्त हुई। वादपत्र के दिनांक 04.09.2023 को अदम हाजरी में खारिज होने के उपरान्त प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 14.05.2024 को मियाद अवधि 30 दिवस खत्म होने के उपरान्त वाजदायरी पेश की गई है। जिसमें अधिवक्ता द्वारा दफा 5 मियाद अधिनियम का [illegible] व दिनांक 04.09.2023 की अ[illegible] की है। प्रार्थना पत्र वाजदायरी के साथ मियाद अधि[illegible] धारा 5 का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश नहीं करने से इस[illegible]जदायरी को स्वीकार किये जाने का कोई आधार नहीं होने से प्रार्थना पत्र वाजदायरी का खारिज फरमाये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।	
	—लगातार—	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.10.15 11:44:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

श्रीमाराम बनाम नानू

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना (वाजदायरी) / आदेश दि. 15/10/2024	

हमने बहस वकलाय पक्षगण श्रवणपूर्वक सुनी व बहस पर आदेश कायम किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाजदायरी मूल वादपत्र व मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के दिनांक 04.09.2023 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होने पर न्यायालय में देरीना दिनांक 14.05.2024 को पेश की गई है। जिसमें मियाद अधिनियम धारा 5 का प्रार्थना पत्र डिले कन्डोन किये जाने बाबत पेश नही किया जाना प्रकट होता है। वाजदायरी से सम्बन्धित मूल वादपत्र व मूल प्रार्थना पत्र टी.आई. मे प्रतिवादीगण व अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 22.05.2012 को ही एकपक्षीय कार्यवाही भी हो चुकी थी। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता वाजदायरी प्रार्थना पत्र में ही उपस्थित आये है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल वादपत्र अचल सम्पत्ति का होकर उद्घोषणा से सम्बन्धित है। जिसको सिद्ध करने का समस्त दायित्व प्रार्थीगण वादीगण का ही होता है। मूल वादपत्र के अचल सम्पत्ति का होने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण के प्रति उदार रवैया अपनाते हुए कोस्ट रूपये 1000/- (अक्षरे एक हजार रूपये मात्र) पर प्रार्थना पत्र वाजदायरी को स्वीकार किया जाता है तथा मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी रुघाराम बनाम नानू वगै0 को सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिया जाता है। उक्त मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जावें। [illegible] प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में नियमित सुनवाई हेतु [illegible] दिनांक 10.10.2024 को पेश [illegible] वाजदायरी फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.10.15 11:44:29 IST
Reason: SelfAttested